INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 6 | JULY - 2023

धार्मिक अल्पसंख्यक, बनारस एवं मीडिया का संदर्भ

मोहम्मद जावेद
शोधार्थी,पी-एचडी.
महामना मदन मोहन मालवीय
हिन्दी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी.

सारांश-

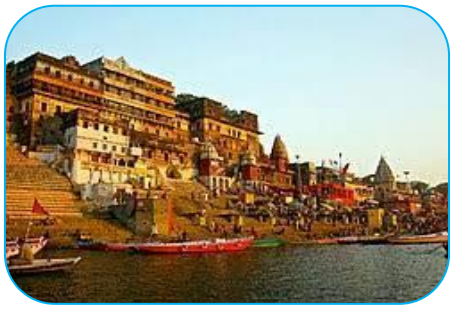

अल्पसंख्यक अर्थात संख्या में अल्प। अल्पसंख्यक संस्कृत के दो शब्द है अल्प यानी थोड़ा(या कम) एवं संख्या। इस सन्धि शब्द का अर्थ होता है दूसरे समूह के तुलना में कम संख्या में होना। अल्पसंख्यक के लिए अंग्रेजी में डपदवतपजल शब्द का प्रयोग किया जाता है जो लैटिन भाषा के शब्द डपदवत तथा सहायक शब्द प्जल से मिलकर बना है। जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है ''संख्या में कम''। अल्पसंख्यक की पहचान एक विशेष जाति, संस्कृति, भाषा या धर्म के मानने वाले के रूप में चिन्हित और स्वीकृत की जाती है। यह नागरिकों का वह हिस्सा है जिसकी भाषा लिपि अथवा संस्कृति भिन्न होती है। ये एक पूरा समुदाय हो सकता है जिसे सामान्य रूप से अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक समुदाय के एक समूह के रूप में देखा जाता है। अल्पसंख्यक को छोटे, अधीनस्थ, छोटी संख्या या भाग, एक संख्या जो आधे से कम है। इस रूप में परिभाषित करती है। भारत में अल्पसंख्यक शब्द एक सापेक्ष शब्द है। संविधान में अल्पसंख्यक की व्याख्या प्रत्यक्ष रूप से नहीं की गयी है, परन्तु अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर परिभाषित किया गया है। भारतीय समाज बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक, बहु भाषायिक बहुत जातिय होते हुए भी इसमें साम्प्रदायिक सदभाव एवं राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जन्मजात है। भारत में हिन्दू धर्म को छोड़कर बाकी अन्य धर्म जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में माना गया है। अल्पसंख्यकों से संबंधित जितने भी रीति रिवाज, धर्म, मान्यताएं तीज त्यौहार, नियम कानून के विविध पक्षों की प्रस्तुति जनसंचार के विभिन्न माध्यम करते है।

भारत पूरे विश्व में अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। विश्व के लगभग हर प्रमुख धर्म के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। भारत अलग-अलग धर्म, जाति, नस्ल और भाषा के लोगों का हमेशा से घर रहा है इसलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत में ही रहते हैं । भारत की कुल आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी 19.3 प्रतिशत की है जो कि 23 करोड़ 35 लाख है (भारत की जनगणना, 2011) ये किसी भी देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे बड़ी आबादी है। देश के 90 जिलों की पहचान अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले जिले के रूप में की गयी है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय की पहचान प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में है लेकिन इसके अलावा भारत में लाखों लोग ऐसे भी हैं जो खुद को अन्य समुदाय के रूप में अपनी पहचान कराते हैं। इस अध्याय में भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय उनकी पहचान और जनसंख्या पर विस्तार से चर्चा किया गया है।

भारत के संविधान या संवैधानिक दस्तावेजों में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को लेकर केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक पर चर्चा की गयी है इसलिए अध्ययन का केंद्र भी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय ही है।

भारत में सबसे अधिक हिन्दी भाषाई समूह है जिनकी कुल आाबदी 52 करोड़ 83 लाख है जो कि देश की आबादी 43.63 फीसद है। इसके अलावा भारत में करोड़ों असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधि, तमिल तेलुगू और उर्दू भाषाई समूह है। संविधान की आठवीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राज्यों का पुर्णगठन 1956 में भाषाई आधार पर किया गया इसलिए भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्यों के स्तर पर की जाती है। राजभाषाओं में केवल हिन्दी और उर्दू ऐसी दो भाषाएं हैं जो कई राज्यों में बोली जाती है। (महमदू: 20011) इसके अलावा भी कई भाषाई समूह है जिनकी मातृभाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। चूंकि भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य में उनकी संख्याबल के हिसाब से की जाती है इसलिए हिन्दी भाषाई समूह को भी देश के कई हिस्सों में भाषाई अल्पसंख्यक समूह का दर्जा प्राप्त है। भाषाई समूह की तर्ज पर ही धार्मिक अल्पसंख्यक समूह की पहचान राज्य स्तर पर करने की मांग भी अब उठने लगी है ये भारत में अल्पसंख्यक विमर्श में नया आयाम है। अल्पसंख्यक विमर्श से जुड़े इन सवालों पर भी इस अध्ययन में चर्चा की गयी है।

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के अलावा भारत में एक बड़ी आबादी जातीय और नस्लीय समूहों की भी है। भारत में अल्पसंख्यक विमर्श में इन समूहों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है क्योंकि संवैधानिक दस्तावेजों में सिर्फ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का ही जिक्र मिलता है।

शब्द कुंजी-धार्मिक अल्पसंख्यक, पत्रकारिता, बनारस,भाषा, भाषाई पहचान

शोध अभिकल्प:

किसी भी शोध का अध्ययन तब तक सही और सुस्पष्ट नही हो सकता, जब तक उस शोध कार्य का योजना के तहत क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन न किया जाये और इस क्रमबद्ध अध्ययन में शोध अभिकल्प का पूर्ण महत्व होता है। शोध अभिकल्प शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले ही निर्मित एक ऐसी व्यवस्थित रूपरेखा है, जो कुछ विशेष उद्देश्यों के संदर्भ में अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है। हमारे शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प व वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जायेगा।

1. अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प:

जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना में अन्तर्निहित कारणों को ढूंढ़ निकालना होता है तो उससे सम्बद्ध रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प कहते है। इस शोध अभिकल्प में शोध कार्य की रूपरेखा इस ढंग से बनाई जाती है कि घटना की प्रकृति व प्रवाह की वास्तविकताओं की खोज की जा सकें।

2.वर्णानात्मक शोध अभिकल्प:

वर्णानात्मक शोध अभिकल्प एक ऐसी शोध प्रविधि है, जिसका उद्देश्य यथार्थ व वास्तविक तथ्यों को संतुलित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। वैज्ञानिक वर्णन के आधार के वास्तविक व विश्वसनीय तथ्य प्राप्त करने के लिए वर्णानात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है।

भारत में इंडो-आर्यन, द्रेविड़, मोंगोलाइड, इंडो-तुर्क प्रमुख नस्लीय समूह के रूप में जाने जाते हैं। भारत में बहुसंख्या इंडो-आर्यन समूह की है लेकिन दूसरे नस्लीय समूहों की भी अच्छी आबादी है (होप रिसले, 1915) भारत में भाषाई और नस्लीय सूमह की तरह कई सारे जातीय और जन-जातीय सूमह भी हैं। अकसर उत्तरपूर्व के राज्योंमें इन जातीय समूहों के बीच टकराव की खबरें आती हैं। अकेले मणिपुर में लगभग 26 जातीय समूह है इनमें मैतयी, नागा और कूकी प्रमुख जातीय समूह है। यहां कूकि और नागा प्रमुख जातीय अल्पसंख्यक समूह है (सिंह, 2014) इसी तरह असम राज्य में भी कई सारे जातीय समूह है इनकी अपनी अलग भाषा और संस्कृति है। बोडो, असमिया, कचारी, करबी, रबहा प्रमुख जातीय समूह है (सुलभा, 2018) जातीय अल्पसंख्यक समूहों का सवाल और उनके मुद्दे भी महत्वपूर्ण सवाल है खासकर उत्तरपूर्व के राज्यों में जहां जातीय पहचान धार्मिक और भाषाई पहचान पर हावी है। देश के बाकी इलाकों में जातीय और नस्लीय पहचान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है यहां धार्मिक और भाषाई पहचान ज्यादा मायने रखती है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक विमर्श केवल इन्हीं दो पहचान पर केंद्रित रहता है और संविधान में भी केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकोंका जिक्र है और इनसे जुड़े प्रावधान हैं।

लोगों को अंतःकरण (जमीर) की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रसार करने का अधिकार। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार तथा अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन, संपत्ति काअधिग्रहण एवं उनके प्रशासन का अधिकार शामिल है। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।

भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, नस्ल, संस्कृति और भाषा के लोग रहतें हैं। भारतीय संविधान का भी बुनियादी ढांचा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है। संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान है। सभी नागरिकों को विधि के समक्ष भी समान संरक्षण मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी रहतें हैं। इसके अलावा विभिन्न भाषाई और जातीय समूह भी है।

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की शहरी आबादी

धर्मिक समुदाय	कुल आबादी	आबादी में प्रतिशत
सभी समुदाय	37.71 करोड़	100 प्रतिशत
हिन्दू	28.22 करोड़	74.82 प्रतिशत
मुस्लिम	6.87 करोड़	18.23 प्रतिशत
ईसाई	1.12 करोड़	2.96 प्रतिशत
सिख	59.02 लाख	1.57 प्रतिशत
बौद्ध	36.28 लाख	0.96 प्रतिशत
जैन	35.47 लाख	0.94 प्रतिशत
अन्य समुदाय	7.39 लाख	0.20 प्रतिशत
उल्लेखित नहीं	12.24 लाख	0.32 प्रतिशत

स्रोत: भारतीय जनगणना, 2011 देखें

धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी का घनत्व देहाती इलाकों में शहरों से कम है। मुस्लिम समुदाय जो कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है उसकी देहाती आबादी भारत की आबादी का केवल 12.41 प्रतिशत है। इसी तरह ईसाई समुदाय भारत की देहाती आबादी में केवल 2.00 प्रतिशत हैं। जैन समुदाय की देहाती आबादी केवल 9.04 लाख है जो कि कुल आबादी का 0.11 प्रतिशत है और बौद्ध समुदाय की देहाती आबादी 0.58 प्रतिशत है। केवल सिख अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी देहाती आबादी भारत में शहरी आबादी से अधिक है। सिख समुदाय की कुल आबादी देहातों में 1.49 करोड़ है जो कि देश की कुल शहरी आबादी का 1.79 प्रतिशत है। सिख समुदाय में केवल 28 प्रतिशत लोग ही शहरों में रहतें है दूसरे समुदाय में अधिक अनुपात में लोग शहरों में बसते है। इसका कारण सिख समुदाय के लोंगों का खेती-किसानी के पेशे से जुड़ा होना है। पंजाब सूबे में मुख्यतः लोग खेती-किसानी पर अश्रित हैं इसलिए सिख समुदाय की देहाती आबादी शहरी आबादी से अधिक है।

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की देहाती आबादी

धर्मिक समुदाय	कुल आबादी	आबादी में प्रतिशत
सभी समुदाय	83.38 करोड़	100 प्रतिशत
हिन्दू	68.41 करोड़	82.05 प्रतिशत
मुस्लिम	10.35 करोड़	12.41 प्रतिशत
ईसाई	1.67 करोड़	2.00 प्रतिशत
सिख	1.49 करोड़	1.79 प्रतिशत
बौद्ध	48.15 लाख	0.58 प्रतिशत
जैन	9.04 लाख	0.11 प्रतिशत
अन्य समुदाय	72 लाख	0.86 प्रतिशत
उल्लेखित नहीं	16.44 लाख	0.20 प्रतिशत

स्रोत: भारतीय जनगणना, 2011

उत्तरप्रदेश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय

उत्तर प्रदेश राज्य की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ है। हिन्दू समुदाय राज्य में बहुसंख्यक समुदाय का दर्जा रखता है जिसकी कुल आबादी राज्य में लगभग 15 करोड़ 93 लाख है जो कि राज्य की आबादी का 79.73 प्रतिशत है। इसके अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदाय प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा रखते है जो कि राज्य की कुल आबादी में लगभग 20 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। मुस्लिम समुदाय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धर्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ 84 लाख के आसपास है जो की राज्य की कुल आबादी का 19.26 प्रतिशत हैं। मुस्लिम समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में निवास करती है लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में अधिक केन्द्रित है। रामपुर जिले में मुस्लिम समुदाय की आबादी 50.57 प्रतिशत है जो कि बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय से अधिक है। उत्तर प्रदेश में केवल रामपुर ही एक जिला है जहां अल्पसुख्यक समुदाय बहुसंख्या में है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन दसू रे प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय भी उत्तरप्रदेश में है। मुस्लिम के बाद दसू री सबसे बड़ी आबादी सिख समुदाय की है जिनकी कुल आबादी प्रदेश में 6 लाख 43 हजार के करीब है जो कि आबादी का 0.32 प्रतिशत है। सिख समुदाय की आबादी पीलीभीत और खेरी जिलों में दसू रे जिलों से अधिक है। खेरी में सिख समुदाय कुल आबादी का 2.35 है और पीलीभीत जिले में कुल आबादी का 4.17 प्रतिशत है। इसके बाद अल्पसंख्यक समूह में ईसाई समुदाय की आबादी 3 लाख 56 हजार के आसपास है जो कि कुल आबादी का 0.18 प्रतिशत है। बौद्ध समुदाय की आबादी 2 लाख 6 हजार के आसपास है। जैन समुदाय की आबादी राज्य में 2 लाख 13 हजार के करीब है। राज्य में 13 हजार 598 लोग ऐसे भी है जो किसी महत्वपूर्ण धर्मिक अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा नहीं है जो अन्य समुदाय के अंतर्गत है जो कि कुल आबादी का केवल 0.01 प्रतिशत ही है। राज्य में 5 लाख 82 हजार 622 व्यक्ति ऐसे भी है जो किसी भी धार्मिक समुदाय से खुद की पहचान नहीं करते है ये कुल आबादी का 0.29 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में धर्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी जनगणना (2011) के अनुसार उत्तर प्रदेश के रामपुर को छोड़कर सभी जिलों में हिन्दू बहुसंख्यक समुदाय है लेकिन राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय भी अपनी आबादी के हिसाब से महत्वपूर्ण स्थान रखता है खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय। मुस्लिम समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश में 19.26 प्रतिशत है। राज्य में 21 ऐसे जिले हैं जहां मुस्मिल समुदाय की आबादी 20 प्रतिशत से अधिक है (जनगणना, 2011) । रामपुर जिला राज्य का एकलौता जिला है जहां मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या हिन्दू समुदाय से अधिक है। रामपुर जिले में मुस्लिम समुदाय की आबादी 50.57 प्रतिशत है जबकि हिन्दू समुदाय की आबादी 45.97 प्रतिशत है। रामपुर के अलावा मुरादाबाद में 47.12 प्रतिशत, मुजफ्फनगर में 41.30 प्रतिशत, बिजनौर में 43.04 प्रतिशत, सहारनपुर में 41.95 प्रतिशत और ज्योतिबाफूले नगर में 40.78 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय की आबादी है। इन जिलों में मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी आबादी है और समुदाय अपनी खास सांस्कृति और सामाजिक पहचान रखता है। राज्य में पांच ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है। मुस्लिम समुदाय के आबादी बरेली में 34.54 प्रतिशत, बहराइच में 33.53 प्रतिशत, मरेठ में 34.43 प्रतिशत, बलरामपुर में 37.51 प्रतिशत और श्रावस्ती जिला में 30.79 प्रतिशत है। इन जिलों में मुस्लिम एक ताकतवर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में भी मुस्लिमों की अच्छी आबादी है और यहां 20 प्रतिशत से अधिक

मुस्लिम समुदाय रहतें है। गाजियाबाद में 25.35 प्रतिशत, लखनऊ में 21.46 प्रतिशत, खेरी में 20.08 प्रतिशत, बदायूं 21.47 प्रतिशत, बुलदं शहर में 22.22 प्रतिशत, बाराबंकी में 22.61 प्रतिशत, सिद्धातनगर में 29.93 प्रतिशत, पीलीभीत 2411 प्रतिशत, संतकबीर नगर में 23.58 प्रतिशत और बागपत 27.98 प्रतिशत आबादी मुस्लिम समुदाय की आबादी है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह की आबादी पायी जाती है। राज्य के ललितपुर जिले में सबसे कम 2.76 प्रतिशत मुस्लिम समुदाय की आबादी है। इसके बाद सबसे कम आबादी चित्रकुट जिले में केवल 3.48 प्रतिशत है। बलिया में 6.59 प्रतिशत, मैनपुरी 5.39 प्रतिशत, सोनभद्र में 5.56 प्रतिशत, मिर्जापुर में 7.84 प्रतिशत, झांसी में 7.40 प्रतिशत और मथुरा में 8.52 प्रतिशत आाबादी मुस्लिम समुदाय की है। ये राज्य के कम अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले जिलों में आते हैं।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में धर्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी

	जिला	कुल आबादी	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिख	बौद्ध	जैन	अन्य
1	प्रयागराज (इलाहाबाद)	59,54,391	85.69	13.38	0.23	0.07	0.07	0.04	0.01
2	मुरादाबाद	47,72,006	52.14	47.12	0.28	0.16	0.03	0.05	0.01
3	गाजियाबाद	46,81,645	72.93	25.35	0.41	0.49	0.07	0.35	0.01
4	आज़मगढ़	46,13,913	84.06	15.58	0.08	0.02	0.12	0.00	0.00
5	लखनऊ	45,89,838	77.08	21.46	0.45	0.52	0.08	0.11	0.01
6	कानपुर नगर	45,81,268	82.78	15.73	0.34	0.65	0.06	0.12	0.01
7	जौनपुर	44,94,204	88.59	10.76	0.11	0.03	0.18	0.01	0.00
8	सीतापुर	44,83,992	79.29	19.93	0.15	0.26	0.06	0.03	0.0
9	बरेली	44,48,359	63.64	34.54	0.33	0.63	0.10	0.02	0.01
10	गोरखपुर	44,40,895	90.28	9.09	0.22	0.05	0.06	0.01	0.00
11	आगरा	44,18,797	88.77	9.31	0.23	0.27	0.09	0.49	0.01
12	मुजफ्फरनगर	41,43,512	57.51	41.30	0.16	0.45	0.04	0.39	0.00
13	हरदोई	40,92,845	85.71	13.59	0.14	0.14	0.16	0.01	0.00
14	खेरी	40,21,243	76.55	20.08	0.19	2.35	0.46	0.01	0.01
15	सुलतानपुर	37,97,117	82.16	17.13	0.12	0.04	0.26	0.01	0.01
16	बिजनौर	36,82,713	55.18	43.04	0.17	1.37	0.05	0.06	0.00
17	बदायूं	36,81,896	77.89	21.47	0.17	0.03	0.05	0.02	0.00
18	वाराणासी	36,76,841	84.52	14.88	0.21	0.09	0.03	0.05	0.01
19	अलीगढ़	36,73,889	79.05	19.85	0.21	0.16	0.07	0.08	0.00
20	गाजीपुर	36,20,268	89.32	10.17	0.12	0.02	0.09	0.01	0.01
21	कुशीनगर	35,64,544	82.16	17.40	0.14	0.02	0.13	0.01	0.00
22	बुलंदशहर	34,99,171	77.37	22.22	0.12	0.08	0.02	0.04	0.00
23	बहरैच	34,87,731	65.71	33.53	0.18	0.24	0.08	0.03	0.00
24	सहारनपुर	34,66,382	56.74	41.95	0.19	0.54	0.06	0.29	0.00
25	मेरठ	34,43,689	63.40	34.43	0.31	0.72	0.05	0.54	0.01
26	गोंडा	34,33,919	79.77	19.76	0.14	0.06	0.02	0.01	0.00
27	रायबरेली	34,05,559	87.39	12.13	0.11	0.07	0.02	0.01	0.02
28	बाराबंकी	32,60,699	76.84	22.61	0.15	0.06	0.05	0.09	0.01
29	बलिया	32,39,774	92.73	6.59	0.14	0.03	0.05	0.01	0.00
30	प्रतापगढ़	32,09,141	85.11	14.10	0.12	0.05	0.24	0.02	0.00

31	उन्नाव	31,08,367	87.89	11.69	0.11	0.04	0.03	0.01	0.00
32	दवे रिया	31,00,946	88.07	11.56	0.12	0.03	0.04	0.01	0.00
33	शाहजहांपुर	30,06,538	80.24	17.55	0.15	1.70	0.08	0.01	0.00
34	महाराजगंज	26,84,703	81.83	17.08	0.13	0.05	0.60	0.01	0.01
35	फतहेपुर	26,32,733	86.40	13.32	0.08	0.02	0.01	0.01	0.00
36	सिद्धार्थनगर	25,59,297	69.93	29.93	0.12	0.03	0.47	0.01	0.01
37	मथुरा	25,47,184	90.72	8.52	0.12	0.11	0.03	0.08	0.00
38	फिरोजाबाद	24,98,156	85.69	12.60	0.13	0.07	0.14	0.76	0.00
39	मिरजापुर	24,96,970	91.81	7.84	0.10	0.05	0.01	0.03	0.00
40	फैजाबाद	24,70,996	84.75	14.80	0.13	0.08	0.03	0.01	0.01
41	बसती	24,64,464	84.52	14.79	0.14	0.04	0.40	0.00	0.00
42	अंबेडकर नगर	23,97,888	82.81	16.75	0.11	0.04	0.08	0.01	0.00
43	रामपुर	23,35,819	45.97	50.57	0.39	2.80	0.02	0.06	0.00
44	मऊ	22,05,968	80.23	19.43	0.10	0.02	0.03	0.01	0.01
45	बलरामपुर	21,48,665	62.05	37.51	0.15	0.04	0.09	0.01	0.00
46	पीलीभीत	20,31,007	71.34	24.11	0.17	4.17	0.02	0.01	0.00
47	झांसी	19,98,603	91.26	7.40	0.35	0.25	0.06	0.37	0.02
48	चंदौली	19,52,756	88.48	11.01	0.11	0.07	0.02	0.01	0.06
49	फररूखाबाद	18,85,204	84.67	14.69	0.17	0.17	0.17	0.03	0.01
50	मैनपुरी	18,68,529	93.48	5.39	0.09	0.03	0.47	0.22	0.00
51	सोनभद्र	18,62,559	93.35	5.56	0.21	0.09	0.09	0.03	0.10
52	ज्यो. फूले नगर	18,40,221	58.44	40.78	0.32	0.29	0.01	0.03	0.00
53	बांदा	17,99,410	91.00	8.76	0.08	0.01	0.01	0.05	0.00
54	रमाबाईनगर	17,96,184	89.80	9.82	0.07	0.03	0.05	0.01	0.01
55	इटावा	17,74,480	90.79	8.25	0.14	0.04	0.16	0.32	0.00
56	संतकबीरनगर	17,15,183	75.83	23.58	0.10	0.03	0.26	0.01	0.00
57	जालौन	16,89,974	89.33	10.15	0.07	0.03	0.17	0.02	0.01
58	कन्नौज	16,56,616	83.05	16.54	0.08	0.03	0.12	0.04	0.00
59	गौतमबुद्ध नगर	16,48,115	84.58	13.08	0.45	0.56	0.05	0.27	0.01
60	कोशांबी	15,99,596	85.80	13.78	0.14	0.03	0.04	0.03	0.00
61	इटावा	15,81,810	92.17	7.20	0.09	0.07	0.11	0.25	0.01
62	संत रविदास नगर	15,78,213	86.70	12.92	0.09	0.01	0.10	0.01	0.00
63	महामाया	15,64,708	89.30	10.19	0.09	0.03	0.03	0.08	0.00
64	काशीराम नगर	14,36,719	84.32	14.88	0.14	0.16	0.27	0.02	0.01
65	ओरैया	13,79,545	92.32	7.39	0.07	0.03	0.02	0.02	0.03
66	बागपत	13,03,048	70.41	27.98	0.14	0.04	0.01	1.24	0.00
67	ललितपुर	12,21,592	95.27	2.76	0.11	0.08	0.01	1.67	0.00
68	श्रावस्ती	11,17,361	68.79	30.79	0.13	0.04	0.03	0.01	0.01
69	हमीरपुर	11,04,285	91.46	8.26	0.07	0.02	0.01	0.00	0.02
70	चित्रकूट	9,91,730	96.33	3.48	0.07	0.01	0.01	0.03	0.00

71	महोबा	8,75,958	93.06	6.56	0.11	0.04	0.01	0.03	0.02

स्राते: भारतीय जनगणना, 2011

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा दसू रे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी बहुत कम है। कुछ समुदाय की आबादी कुछ जिलों मे ठीक-ठाक है अधिकतर जिलों मे नगण्य है। ईसाई समुदाय की आबादी गौतमबुद्ध नगर में 0.45 प्रतिशत, लखनऊ में भी 0.45 प्रतिशत और गाजियाबाद में 0.41 प्रतिशत है। फतहे पुर में ईसाई समुदाय की आबाद 0.08 प्रतिशत, चितत्रकूट और जालौन में 0.07 प्रतिशत है जो राज्य में सबसे कम है। सिख समुदाय की आबादी सबसे अधिक खेरी जिले में 2.35 प्रतिशत है इसके अलावा राज्य के किसी भी जिले में सिख समुदाय की आबादी 1 प्रतिशत से अधिक नहीं है। चित्रकूट और बांदा जिले में समुदाय की आबादी केवल 0.01 प्रतिशत है जो राज्य में सबसे कम है। बौद्ध समुदाय की आबादी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में 1 प्रतिशत से अधिक नहीं है। सबसे अधिक आबादी महाराजगंज में 0.60 प्रतिशत है। महोबा, बांदा, मिर्जापुर, ज्योतिबाफूले नगर, बागपत, ललितपुर में बौद्ध समुदाय की आबादी केवल 0.01 प्रतिशत है। जैन समुदाय की आबादी राज्य के अधिकतर जिलों में नगण्य है लेकिन बागपत में 1.24 प्रतिशत और ललितपुर में 1.67 प्रतिशत आबादी है। इसके अलावा मरे ठ में समुदाय की आबादी 0.54 प्रतिशत है और फिरोजाबाद में 076 प्रतिशत है। अंबेडकरनगर, फैजाबाद, मऊ, पिलीभीत, बलरामपुर, संतकबीरनगर, रमाबाईनगर में जैन समुदाय की आबादी केवल 0.01 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश में प्रमुख भाषाई समूह में हिन्दी भाषी, उर्दू भाषी, बंगाली भाषी, नेपाली भाषी और पंजाबी भाषी शामिल है। कमीशनर फॉर लिगं वेसटिक माईनोरिटी की 52वीं रिपोर्ट (2014-2015) के अनुसार राज्य में हिन्दी भाषाई समूह बहुसंख्यक हैं।55 हिन्दी भाषी 15 करोड 17 लाख के करीब है जो कुल आबादी का 91.32 प्रतिशत है। राज्य में उर्दू भाषी, बांग्ला भाषी, नेपाली भाषी और पंजाबी भाषी को प्रमुख भाषाई अल्पसंख्यक समूह के रूप में चिन्हित किया गया है।

उर्दू भाषी राज्य में हिन्दी के बाद सबसे बड़े भाषाई समूह है इसलिए उर्दू भाषाई समूह उत्तप्रदेश में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक भाषाई समूह है। जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ 32 लाख है जो कि राज्य की आबादी का लगभग 7.99 प्रतिशत होती है। पंजाबी भाषाई समुदाय की आबादी 5 लाख 23 हजार है जो कि कुल आबादी का 0.31 प्रतिशत है। नेपाली भाषाई समूह 2 लाख 63 हजार के करीब है जो कि राज्य की आबादी का 0.16 प्रतिशत है। इसके बाद बांग्ला भाषाई समूह है जिसकी आबादी 1 लाख 81 हजार जो कि राज्य की कुल आबादी का केवल 0.11 प्रतिशत है। राज्य में हिन्दी को राज्य की अधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है लेकिन उर्दू भाषाई समूह की आबादी को देखते हुए उर्दू को अतिरिक्त अधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 विभिन्न भाषाओं को शामिल किया गया है। इन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इस सूची में असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोकंणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु , नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोड़ो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत और सिंधी शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी भाषाएं गैर-अनुसूचित भाषा है जिन्हें राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में 19,97,70,172 लोग ऐसे हैं जिनकी मातृ भाषा आठवीं अनुसूचि में शामिल है जो कि कुल आबादी का 99.98 है.

बनारस में अल्पसंख्यक

बनारस जिले की कुल जनसंख्या 36,76,841 है। उत्तर प्रदेश, आबादी के लिहाज से 18वां सबसे बड़ा जिला है। बनारस दुनिया भर में अपनी विविधता और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। बनारस में यू तो हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है लेकिन बनारस कई सारे धर्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों का भी लंबे समय से घर रहा है। बनारस जिले की कुल आबादी में एक बड़ा हिस्सा धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का भी है। बनारस जिले में सबसे बड़े धर्मिक अल्पसंख्यक समूह के रूप में मुस्लिम समुदाय की पहचान होती है जिसकी आबादी बनारस में 5 लाख 46 हजार है जो कि जिले की कुल आबादी का 14.88 प्रतिशत है (जनगणना, 2011) इसके बाद बनारस में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के रूप में ईसाई समुदाय के पहचान होती है जिनकी आबादी बनारस में 7,696 है जो कि कुल आबादी का 0.21 प्रतिशत है। बनारस 3 हजार सिख धर्म के अनुयायियों का भी घर है जिनकी जिले में आबादी लगभग 0.09 प्रतिशत है। जैन समुदाय की बनारस में जनसंख्या 1,898 है जो कि बनारस जिले की आबादी का 0.05 प्रतिशत है। बनारस बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है यहीं सारनाथ में अशोका स्तंभ है। बनारस में बौद्ध अनुयायी करीब 1,146 है जो जिले की कुल आबादी का 0.03 प्रतिशत है।

बहुत सारे ऐसे भी लोग बनारस में है जो किसी भी समुदाय से खुद को चिन्हित नहीं करते वेसे लोगा भी बनारस में काफी है उनकी आबादी 7,826 है (जनगणना, 2011)

बनारस एवं मीडिया का संदर्भ:

काशी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से परिपूर्ण है। यहां मुस्लिम समुदाय प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय है। इनकी जनसंख्या में 14.88 प्रतिशत की भागीदारी है। यहां के मुस्लिम समुदाय के बुनकर समुदाय द्वारा निर्मित बनारसी साड़ी, सूट, महीन बिनकारी, दरदोजी, जरी पूरी दुनिया में मशहूर है। समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं इन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलायी जाती है। जिसका प्रचार-प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जाता है। दैनिक समाचार पत्रों के क्षेत्र में वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इस कारण अल्पसंख्यक समुदाय के समाचारों के कवरेज को लेकर प्रायः समाचार पत्रों में भी प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती है। यह प्रवृत्ति भी वर्तमान मीडिया व्यवहार में है, इसलिए अल्पसंख्यक समाज व दैनिक समाचार पत्र के परस्पर रिश्ते, अनकी प्रकृति व स्वरूप की वास्तविक स्थिति का ज्ञान, इस अध्ययन का मुख्य बिन्दु है। इसके अतिरिक्त यह ज्ञात करना कि दैनिक समाचार पत्र अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए विविध पक्षों के किन संदर्भो को अधिक मात्रा में उभारते है जैसे - प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय में व्यक्ति, समाज व्यवस्था, धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, अन्धविश्वास, नियम, कायदे कानून एवं मीडिया आदि पक्ष सम्मलित होते है। लेकिन इनमें से समाचार पत्र किस पक्ष को उभारते है। किस पक्ष को कम उभारते है। यह ज्ञात करना अध्ययन का बिन्दु है। समाचार पत्र अल्पसंख्यकों से जुड़े अपराध पर अपना पक्ष किस रूप में प्रकाशित करते है। वह अपराध के पक्ष को या अपराधी के पक्ष को ज्यादा उभारते है। यह हमारे अध्ययन का बिन्दु है। समाज विज्ञान की सभी धाराओं में अल्पसंख्यकों को आधार बनाकर अनगिनत शोध कार्य हुए है। ज्यादातर शोध कार्यों में अल्पसंख्यकों के आर्थिक, समाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीति पक्षों को आधार बनाया गया है लेकिन विशेषकर वाराणसी के सन्दर्भ में जहां विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों का समावेश है, वहां अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में मीडिया पक्ष को लेकर शोध कार्यों का एक अभाव सा है।

समाचार पत्र, अर्थ, प्रकार एवं परिभाषा:

एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य सदैव से जिज्ञासु प्राणी रहा है। अतः वह अपने पास की सभी जानकारियों, घटनाओं को जानना चाहता है। चारों दिशाओं की जानकारी ही समाचार है। समाचारों के माध्यम से ही समाचार पत्र का स्वरूप बनता है। समाचार पत्र समाज का थर्मामीटर है, जिससे समाज के तापमान को मापा जा सकता है। भविष्य की घटनाओ को संकेतित करने के कारण समाचार पत्र दूरबीन भी है। समाचार पत्र दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग है। यह प्रबुद्ध पाठकों के लिए एक ऐसा दर्पण है जिसकी सहायता से वे विश्व की गतिविधियों, स्वराष्ट्र के अत्थान-पतन तथा क्षेत्र विशेष की ज्वलंत समास्याओं से परिचित होते है।

1566 ई. में यूरोप के शहरों में युद्ध एवं व्यापार से संदर्भित हस्तलिखित पत्र जब श्रोतागण सुनते थे, तो उनके लिए एक ''गजेटा'' (छोटा सिक्का) देना पड़ता था। इसी गजेटा के नाम पर समाचार पत्रों को गजेटा कहा जाने लगा। सम्प्रति 'गजट' तो सूचना पत्र तथा समाचार पत्र का पर्याय बन चुका है। फारसी के 'खबर' का बहुबचन 'अखबार' है।

परिभाषा: इंग्लैंड के ''न्यूज पेपर लायबल रजिस्ट्रेश एक्ट'' के अनुसार ''कोई भी पर्चा समाचार पत्र कहा जायेगा, बर्शते की उसमें सार्वजनिक समाचार, सूचनाएं छपी हो और वह एक निश्चित अवधि के बाद जो 26 दिन से अधिक भी न हो, बिक्री के लिए प्रकाशित होता है।''

समाचार पत्र के प्रकार:

स्वामित्व के आधार पर: समाचार पत्र के स्वामित्व की बाद करेगें तो इसके कई स्वरूप है।

(क) एकल स्वामित्व: इसमें मालिक ही पत्र का संपादक तथा प्रबंधक होता है। समय पड़ने पर हर तरह का कार्य उसके द्वारा संपन्न होता है।

(ख) साझेदारी: साझेदारी स्वामित्व में व्यापार के लाभ को आपस में बाटने का समझौता किया जाता है। इसमें सभी अथवा सबके प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति कार्यरत होता है।

(ग) मिश्रित पूंजी कम्पनी: भारतीय कम्पनीय अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार इन कंपनियों का पंजीकरण होता है। इसमें अंशधारी का दायित्व सीमित होता है। तथा व्यापार का विस्तार पूंजी बढ़ाकर सरलता से किया जा सकता है। मिश्रित पूंजी कंपनियों में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आनंद बाजार पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स, पायनियर लिमिटेड, बेनेट कोलमैन कंपनी प्रमुख है।

(घ) ट्रस्ट: किसी विशेष उद्देश्य के प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्र की सम्पत्ति समर्पित समाज सेवियों के प्रबंध के अन्तर्गत देने की दृष्टि से ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। प्रकाशन से लाभ की आशा न कर सभी ट्रस्टी सेवा भाव से पत्र के नियमित प्रकाशन पर बल देते है। थांथी ट्रस्ट, सौराष्ट्र ट्रस्ट और लोक शिक्षण ट्रस्ट द्वारा ''ट्रिब्यून'' जैसे अनेक पत्र प्रकाशित हो रहे है.

प्रकाशन अवधि के आधार पर समाचार पत्र:

इसमें समाचार पत्रों को दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक आदि आधारों पर बॉट सकते है। दैनिक पत्रों में 24 घंटे की घटनाएं लिखि जाती है। समसमायिक और समाचार प्रधान रचनाओं के परिणाम की दृष्टि से दैनिक पत्रों के बाद साप्ताहिक पत्रों की गणना होती है, तत्पश्चात पाक्षिक पत्र। मासिक पत्रों में लेख उपन्यास की प्रधानता होती है। त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक पत्रों में आलोचना, अनुसंधान एवं अन्य साहित्यिक विधाओं से संबंधित सामग्रियां होती है।

विश्व में समाचार पत्रों का विकास मुख्यतः यूरोप एवं अमेरिका में केन्द्रित रहा है। हांलाकि सबसे पहले प्रिंट कला का आविष्कार चीन में 868ई. में हुआ। 'हीरक सूत्र' पहली पुस्तक 11 मई, 868ई. में चीन में छापी गयी थी। पेपर के निमार्ण का कार्य बगदाद में 793 में ई. में हुआ था। 1900ई. में अरब ने कागज बनाया। 968ई. में चीन में अलग-अलग खुदे अक्षरों वाले टाइपों का प्रारम्भ हो सका। चीन में मुद्रण कला एवं पद्धति का विकास हुआ परन्तु आधुनिक किस्म के छापेखानों का विकास जर्मन के ''जॉन गुटेन वर्ग'' 1455ई. में ''बाइबिल'' छाप कर किया। 1500ई. के आस-पास पूरे यूरोप में 1500 पुस्तकों का मुद्रण हो चुका था। 1539 में एक मुद्रणालय की स्थापना हुयी।

अनेक विद्वानों की मान्यता है कि सबसे पहला समाचार पत्र 1609ई. में जर्मनी में प्रकाशित हुआ था जबकि कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जर्मनी का ''न्यू जाइतुंग'' विश्व का पहला समाचार पत्र था। इंग्लैड में सर्वप्रथम 'विकली न्यूज' समाचार पत्र 1622ई. में प्रकाशित हुआ। फ्रांस का प्रथम समाचार पत्र गजेट 1631 में प्रकाशित हुआ। स्वीजर लैंड में एक समाचार बुलेटिन 1620 में प्रकाशित हुआ था। सोवियत संघ पहला समाचार पत्र 1703 ई. में प्रकाशित हुआ। दुनिया का पहला दैनिक समाचार पत्र बनने का श्रेय डेली कोरेंट 1702 लंदन को है। मुद्रण कला का प्रारम्भ चीन से, कागज का निर्माण अरब से तथा समाचार पत्र का प्रकाशन जर्मन से हुआ।

भारत में समाचार पत्र:

भारत में सर्वप्रथम प्रेस पुर्तगालियों द्वारा धार्मिक सामग्री प्रचार प्रसार के लिए 1550 में गोवा में स्थापित किया गया था। दूसरा प्रेस थॉमश स्टीवेंस ने टिनेवली जिले के पनिकेल में 1578 में स्थापित किया। तथा तीसरा प्रेस 1679 में त्रिचुर से 20 किमी दक्षिण में अम्बालकाद गांव में स्थापित किया गया। इस प्रेस से तमिल पुर्तगीज शब्द कोष प्रकाशित किया गया। कुछ विद्वानों की मान्यता हैं कि स्पेन का जाओ दी बुस्टमैंट भारत में प्रिटिंग प्रेस के साथ 1956 में आया था। जिसे उसने गोवा में स्थापित किया।

प्रथम भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन 1766ई. में विलियम बोल्ट द्वारा किया गया। विलियम बोल्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से त्याग पत्र देकर समाचार पत्र का प्रकाशन किया। लेकिन अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखने के कारण विलियम बोल्ट के पेपर को बंद कर जबरन उन्हें इंग्लैड भेज दिया गया। 29 जनवरी, 1780 को ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने ''बंगाल गजट'' या ''दी कलकत्ता जनरल एडवटाइजर'' नामक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र को हिक्की गजट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा भारतीय समाचार पत्र ''इंडिया गजट'' नवम्बर, 1780 में कलकत्ता से बेनार्ड मेन्सिक और पीटर रोडर ने प्रारम्भ किया। 1784 में भारत का तीसरा समाचार पत्र ''कलकत्ता गजट एण्ड ओरिएंटल एडवटाइजर'' प्रकाशित हुआ। फरवरी, 1785 में थॉमशन जॉन ने चौथे भारतीय समाचार पत्र ''बंगाल जर्नल'' का प्रकाशन किया। मई, 1785 में ''ओरिएंटल मैंगजिन और कलकत्ता एम्यूजमेंट'' प्रथम मासिक पत्रिका का प्रारम्भ हुआ। 1786 में कलत्ता क्रोनिकल का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र ''बाम्बे हेराल्ड'' 1789 से प्रकाशित हुआ। 9 अप्रैल, 1807 को गर्वनर जनरल कांउसिल ने एक अधिनियम के द्वारा सभी प्रेस प्रकाशनों पर लेखक एवं प्रकाशन के नाम का उल्लेख अनिवार्य कर दिया। भारतीय भाषा का पहला पत्र 1857 में श्रीरामपुर के बैपविस्ट मिशनरियों ने निकाला। जिसका नाम था ''दिग्दर्शन'' । 30 मई, 1826 को हिन्दी का पहला समाचार पत्र ''उदन्त मार्तण्ड'' कलकत्ता से प्रकाशित हुआ जिसके संपादक पं. युगल किशोर शुक्ल थे। 1829 को ''बंगदूत'' का प्रकाशन बंग्ला, फारसी, हिन्दी व अंग्रेजी में हुआ। इस पत्र के प्रथम संपादक नील रतन हलदार थे।

अध्ययन में सम्मिलित समाचार पत्रों का संक्षिप्त विवरण:

दैनिक जागरण: काशी की पत्रकारिता में दैनिक जागरण का प्रकाशन 21 अगस्त, 1981 को प्रारंभ हुआ। इसके संस्थापक पूर्ण चंद गुप्त एवं तत्कालीन संपदाक स्व. नरेन्द्र मोहन थे। वर्तमान समय में इसका मुद्रण पत्र के स्थानीय संपादक वीरेन्द्र कुमार स्वत्वाधिकार में अपने ही प्रेस एस14/1 नदेसर वाराणसी से होता है।यह पत्र आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न है। प्रसार की दृष्टि से इसका प्रमुख स्थान है। 16 पृष्ठों को इस रंगीन समाचार पत्र में लगभग 80 प्रतिनिधि संलग्न है।

हिन्दुस्तान: पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान का उदय महामना पं. मदनमोहन मालवीय जी की प्रेरणा से हुआ। वाराणसी में दैनिक हिन्दुस्तान का प्रथम संस्करण 15 जून, 2001 से आरंभ हुआ, किन्तु काशी में इसका विधवत प्रवेश 18 जुलाई, 2001 को हुआ। यह 8 कॉलम तथा 16 पृष्ठ के इस दैनिक का मूल्य है। इसका प्रधान कार्यालय व मुद्रण प्रकाशन रोहनिया स्थित वाराणसी कार्यालय से होता है। वर्तमान में इसके स्थानीय संपादक विशेश्वर कुमार है।

अमर उजाला: दैनिक पत्रों की लम्बी श्रृंखला में अमर उजाला का अपना महत्व है। काशी में अमर उजाला का प्रकाशन 5 मई, 2001 से आरंभ हुआ। वर्तमान में इसके स्थानीय संपादक राजेन्द्र त्रिपाठी है। इसका प्रधान कार्यालय चांदपुर वाराणसी में स्थित है। जहां से पत्र का मुद्रण और प्रकाशन होता है। 16 पृष्ठों का यह समाचार पत्र पाठकों को प्रति अंक की दर से उपलब्ध होता है। इसके कई परिशिष्ट सप्ताह में प्रकाशित होते है।

निष्कर्ष-

अल्पसंख्यक अर्थ प्रकार एवं विश्व में धार्मिक एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय इतिहास के हर दौर में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किसी भी राज्य में ऐसे जातीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूह का अस्तित्व हमेशा रहा है जो बहुसंख्यक आबादी या राज्य की दूसरी आबादी से अपनी पहचान में अलग रहें हैं। विश्व के किसी भी कोने में सांस्कृतिक भाषाई और धार्मिक एकरूपता वाला राष्ट्र कभी भी आस्तित्व में नहीं रहा है। इन राष्ट्रों के अंदर ऐसे भिन्न अल्पसंख्यक समूह का अस्तित्व हमेशा रहा है। यहां तक कि वह राज्य जो अपनी सीमाओं और आबादी में स्थिर हैं उनके यहां भी अल्पसंख्यक समूहों का अस्तित्व रहा है। फिलिप ने अपने अध्ययन में अल्पसंख्यक समूहों के अस्तित्व की जड़ों को खोजने का प्रयत्न किया और कुछ कारणों को उल्लेखित किया है।

सन्दर्भ सूची

अंसारी, इकबाल (1996) (सं), रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे , वॉल्यमू 1, नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी

अहदम, इमतियाज़ (सं)(1978). कॉस्ट एण्ड सोशल स्ट्राटिफिकेशन एमगं मुस्लिम इन इंडिया. नई दिल्लीः मनोहर पब्लिके शन

एलियाज, बोनिटा (2002). इंडियन क्रिसचियन टुडे. हुसैन, मुनिरुल और घोष, लीपी (सं), रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन

कैपेटोरटी, फ्रांसिस (1996). रिपोर्ट ऑफ दॉ सब कमीशन. अंसारी, इकबाल (1996) (सं), रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे , वॉल्यमू 1, नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी

गेयर और जेफरले टे (2012) मुस्लिम इन इंडिया ट्रैजेकट्री आफ मार्जीलाइजेशन, सी हस्ट और को पब्लीशर, नई दिल्ली उत्तर प्रदेश

चौधरी, सुकोमाल (2002). बुद्धिस्ट एज़ माइनोरिटीज़ इन इंडिया. मुनिरुल हुसैन और घोष, लीपी (सं), रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन

रिसेल होप हर्बट (1915), दॉ पीपल ऑफ इंडिया, हावर्ड युनिवर्सिटी

जैन, रेनू (2002). केस आफ जैन इन इंडिया. मुनिरुल हुसैन और घोष, लीपी (सं), रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन

जेफरलेट, क्रिस्टोफर और कुमार, नरेंद्र (2018). डॉ अम्बेडकर एण्ड डेमोक्रेसी. ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार, जनगणना 2011,

भारत सरकार के दस्तावेज़, कमीशनर फॉर लिगं वेसटिक माईनोरिटी की 52वीं रिपोर्ट (2014-2015)

तिवारी, रमेश नारायण, भारतीय भाषाएँ, प्रकाशन विभाग, सचू ना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली।

दास, जेके (2011). इंडीजीनियस पीपुल्स एंड हयूमन राइटस. नई दिल्लीः एपीएच पब्लिीशिंग कोर्पोरेशन

पैले केलयेर (1996), कंस्टीटयूशनल लॉ एण्ड मोनोरिटी. रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे (सं), वॉल्यमू 1. नई दिल्ली:इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी.

फीलिप्स, अलान (1996). माईनोरिटीज़ राईट एण्ड दॉ युनाईटडे नेशन . रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे (सं), वॉल्यमू 1. नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी

फीलिप्स, अलान (1996). दॉ प्रोटेकशन ऑफ माइनोरिटीज़ एण्ड इंटरनेशनल रिसपांस. रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे (सं), वॉल्यमू 1. नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी

फिलिप, के हित्ती (1970). हिस्ट्री ऑफ दॉ अरब. लदं नः मैकमिलन एडूकेशन

भरत, राजेंद्र कृष्णा (2014), कंस्ट्रकशन ऑफ रिलीजियस माईनोरिटीज इन कांस्टीटयूटं एसेबं ली डिबेट- एन एनालिटिकल स्टडी (अनपबलिशड पीएचडी थीसिस). युनिवर्सिटी ऑफ मयसूर

महमूद, ताहिर (2001). माईनोरिटीज़ कमीशनः माइनर रोल इन मजे र अफेयर. नई दिल्लीः फारोज पब्लिकेशन

राबादी, एबी (2002). माईनोरिटी कम्युनिटी पारसी इन दॉ इंडियन सिनारियो. मुनिरुल हुसैन और घोष, लीपी (सं), रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्ली. मानक पबलिकेशन

वेब्सटर, सीबी जॉन (1994). दॉ दलित क्रिसचियन. ए हिस्ट्री. नई दिल्लीः आईएसपीसीके

वागले चार्लस एवं होरिस, मारविन (1964). माईनोरिटीज इन दॉ न्यू वर्ल्ड. न्यूयॉर्कः कोलंबिया प्रेस

सिन्हा, अंजलि (2002) मल्टी लिगंअुलिज्म इन अर्बन वाराणसी, पी.एच.डी थीसिस (अप्रकाशित), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

सोराबजी, सोली (1996). मोनोरिटीज़ नेशनल एण्ड इंटरनेशनल प्रोटेकशन. रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे (सं), वॉल्यमू 1. नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी

सिंह, खुशवंत (1991), ए हिस्ट्री आफ दॉ सिख, लदं नः आक्सफार्ड युनिवर्सिटी प्रेस

सिंह, अमरजीत(2014), एथनिक गुप्र इन कोनफिल्कट इन इंडियाज मणिपुर, साउथ एशिया जरनल

राय सलु भा (2018), इथनिक कानफिल्कट इन असामः इसूज़ कौसजे एंड रसे पोनस, दा इसटर्न एंथ्रोपोलिजिस्ट,

हुसैन, मुनिरुल और घोष, लीपी (2002). रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन

हुसैन, मुनिरुल (2002). मुस्लिम कोशचन इन इंडिया. हुसैन, मुनिरुल और घोष, लीपी (सं). रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन